



अधिशासी अभियन्ता  
**विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय**  
 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
 सीतापुर

1008280236

पत्रांक ५२२३ / विंडिंग्स०ट्रॉडि० / सी० / पी०५ (औ०)

दिनांक - २०/०३/२३

विषय-विद्युत कनेक्शन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु।

S.P.D/ ५००५/२५०९२८

उपखण्ड अधिकारी

विद्युत वितरण उपखण्ड सिधौली/खैराबाद/भिक्रिख/पिसावां/सिधौली ग्रामीण/कमलापुर

सीतापुर

P.R. No 7000332109

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| श्री..... श्री.....  | जीघी                             |
| ग्राम/मो० लैलहरी..... पो० लैलहरी.....                                  | पुत्र श्री.....                  |
| सीतापुर में दिनांक २०-०६-२०२३ को ८.....                                | तहसील सीतापुर.....               |
| सीतापुर में दिनांक २५-०६-२०२३ को ५.....                                | अ०श० मय पंखा बत्ती का अनुबन्ध कर |
| फिक्स चार्ज रु०..... २५००=   | रसीद सं०..... दिनांक.....        |
| फिक्स चार्ज रु०..... ५९५७=   | २५३६९१२५० तक ०७-०६-२०२३.         |
| तथा लाइन आदि के रु०..... १३५८८२=                                       | रसीद सं०..... दिनांक.....        |
| कुल योग रु०..... १४३२३९=   | १..... दिनांक.....               |
| लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनुदान रु०..... X.....                         | रसीद सं०..... दिनांक.....        |
| शेष भुगतान योग्य घनराशि रु०..... १४३२३९=                               |                                  |
| द्वारा जमा कर दिये हैं इनका यह भार केवल निम्न विधाओं हेतु स्वीकृत हैं। |                                  |
| 1..... P.T.W..... 2..... X..... 3..... X..... 4..... X.....            |                                  |

मैं उपरोक्त का बी० एण्ड एल० फार्म एक प्रति में आपके पास संलग्न करके भेज रहा हूँ। कृपया व्यक्ति के विद्युत कनेक्शन के लिए लाइन तथा स्टेशन का कार्य प्रारम्भ कर दें तथा बी० एण्ड एल० फार्म योजना देने के उपरान्त खण्ड कार्यालय में वापस कर दें एवं मीटर पाठन व योजन देने की तिथि तथा योजन पत्र भेजने की व्यवस्था करें। जिससे उपभोक्ता को बिल भेजा जा सके। योजन पर लगे कैपीस्टर का उल्लेख भी करने का कष्ट करें।

नोट:- बिना मीटर के संयोजन निर्गत नहीं किया जायेगा, यदि ऐसा संयोजन पाया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता व उपखण्ड अधिकारी का होगा।

संलग्नक-यथा उपरोक्त

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक ५२२३ / विंडिंग्स०ट्रॉडि० / सी० / तद्दिनांक - २०/०३/२३

- प्रतिलिपि सहायक निदेश विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन सीतापुर को बी० एण्ड एल० फार्म के साथ चालान प्रति प्रेषित।
- प्रतिलिपि उपरोक्त उपभोक्ता को।
- प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (भी०) विद्युत परीक्षण खण्ड, सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-यथा उपरोक्त

अधिशासी अभियन्ता